

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267630 CG-DL-E-13112025-267630

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4999] No. 4999]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5168(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पिठत धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, परिष्कृत निकल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 को वापस लेती है, और उक्त प्रयोजनार्थ, भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. संख्या 1766(अ.), तारीख 17 अप्रैल, 2025 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii),तारीख 17 अप्रैल, 2025 में प्रकाशित हुई थी, को विखंडित करती है।

[फा. सं. 02/9/2025-ईएस]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

New Delhi, the 13th November, 2025

S.O. 5168(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby withdraws the Refined Nickel (Quality Control) Order, 2025, and for the said purpose, rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Mines issued *vide* number S.O. 1766(E), dated the 17th April, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th April, 2025.

[F. No. 02/9/2025-ES]



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267627 CG-DL-E-13112025-267627

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5005]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947

No. 5005]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5174(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, तांबा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 को वापस लेती है, और उक्त प्रयोजनार्थ, भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. संख्या 3847(अ.), तारीख 31 अगस्त, 2023 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 31 अगस्त, 2023 में प्रकाशित हुई थी, को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 02/19/2023-ईएस]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

New Delhi, the 13th November, 2025

S.O. 5174(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby withdraws the Copper (Quality Control) Order, 2023, and for the said purpose, rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Mines issued *vide* number S.O. 3847(E), dated the 31st August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st August, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 02/19/2023-ES]



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267629 CG-DL-E-13112025-267629

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4998]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947

No. 4998]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5167(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पिठत धारा 16 की (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकारका यह मत है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है,भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, टिन इनगॉट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 को वापस लेती है, और उक्त प्रयोजनार्थ, भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. संख्या 1769(अ.), तारीख 17 अप्रैल, 2025 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii),तारीख 17 अप्रैल, 2025 में प्रकाशित हुई थी, को विखंडित करती है।

[फा. सं. 02/8/2025-ईएस]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

New Delhi, the 13th November, 2025

S.O. 5167(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby withdraws the Tin Ingot (Quality Control) Order, 2025, and for the said purpose, rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Mines issued *vide* number S.O. 1769(E), dated the 17th April, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th April, 2025.

[F. No. 02/8/2025-ES]

<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267628 CG-DL-E-13112025-267628

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4997] No. 4997]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5166(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पिठत धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, निकल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 को वापस लेती है, और उक्त प्रयोजनार्थ, भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. संख्या 3848(अ.), तारीख 31 अगस्त, 2023 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii),तारीख 31अगस्त, 2023 में प्रकाशितहुई थी, को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 02/20/2023-ईएस]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

New Delhi, the 13th November, 2025

S.O. 5166(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby withdraws the Nickel (Quality Control) Order, 2023, and for the said purpose, rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Mines issued *vide* number S.O. 3848(E), dated the 31st August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st August, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 02/20/2023-ES]



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267626 CG-DL-E-13112025-267626

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5004] No. 5004]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947 NEW DELHI. THURSDAY. NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

खान मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5173(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्र धातु (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश,2023 को वापस लेती है तथा उक्त प्रयोजनार्थ, भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. संख्या 3846(अ.),तारीख 31 अगस्त, 2023 को,जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 31 अगस्त, 2023 में प्रकाशित हुई थी,को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 02/18/2023-ईएस]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

New Delhi, the 13th November, 2025

S.O. 5173(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby withdraws the Aluminium and Aluminium Alloys (Quality Control) Order, 2023, and for the said purpose, rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Mines issued *vide* number S.O. 3846(E), dated the 31st August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st August, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 02/18/2023-ES]